ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

पत्रांक :–तम्बाकू प्रकोष्ठ/2016–17/610 लखनऊ/दिनांक : 24/03/2017

विषयः– उत्तर प्रदेश में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, (सी0ओ0टी0पी0ए0) 2003 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया इस महानिदेशालय के पत्रसंख्या–तम्बाकू प्रकोष्ठ/2016–17/387, दिनांक–09/11/2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से आपसे सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धाराओं का अनुपालन किये जाने संबंधी अनुरोध किया गया था।

आपको अवगत कराना है कि **माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 महोदय** द्वारा दिनांक–22/03/2017 को अधिकारीगणों की बैठक में यह निर्देश दिये गये है कि सभी कार्यालयों में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी/आगन्तुक तम्बाकू/पान–मसाला/गुटखा/धूम्रपान इत्यादि का सेवन न करें। जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये जनपद से लेकर ग्राम स्तर तक कड़ाई से लागू करवाये जाने की अपेक्षा की जाती है।

कृपया **माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली** के पत्र–डी0ओ0 संख्या–62/N/OTH/16 Minister/WCD/2014-15 दिनांक 8, अप्रैल, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 की धारा–77 के अनुपालन किये जाने विषयक है। (छायाप्रति संलग्न)

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा–6 (अ) के अनुसार **18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना एवं 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का तम्बाकू उत्पाद बेंचना दोनों प्रतिबधित करती है।** जिस हेतु प्रत्येक सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों की दुकानों एवं गुमटियों पर –''18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है'' लिखा हुआ 60X30 से0मी0 का साइनेज लगाना आवश्यक है।

(क्रमशः......2,3)

State Tobacco Control Cell, Swasthya Bhawan, Lucknow. U.P.
Fax No-0522-2623980,E-Mail-*nodal.ntcp.up@gmail.com, facebook/STCC.UP*

अधिनियम की धारा–6 (ब) **शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है।** जिस हेतु विद्यालय परिसर के बाहर किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रमुख रूप से एक बोर्ड प्रदर्शित करना है कि शैक्षिणक संस्थान के एक सौ गज की दूरी के घेरे के क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय का सख्त प्रतिषेध है और कि यह अपराध जुर्माने से, दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। उक्त हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से कड़ी कार्यवाही की अपेक्षा है।

कृपया अवगत हो कि **Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 की धारा–77 में वर्णित है कि "Whoever gives, or causes to be given, to any child any intoxicating liquor or any narcotic drug or tobacco products or psychotropic substance, except on the order of a duly qualified medical practioner, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to a fine which may extend up to one lakh rupees."**

यहाँ उल्लेखनीय है कि **प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–15 के पत्र संख्यॉ–682/6–पु0–15–2015 दिनांक 07, अक्टूबर, 2015** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमुख सचिव महोदय द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम को आपके अधिकार क्षेत्र में लागू किये जाने हेतु समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 के नेतृत्व की अपेक्षा की गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

अवगत कराना है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से वसूला गया **जुर्माना आदि कोषागार संख्या 385 पर वसूल कर, लेखा शीर्षक–0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य 800 अन्य प्राप्तियॉ, 04 स्वास्थ्य निदेशक के अन्य प्राप्तियॉ में** जमा कर दिया जाना है।

अतः **माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र महोदय** के निर्देशों के अनुपालन हेतु उपरोक्त अधिनियम, एवं **माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार** के संलग्नपत्र द्वारा वांछित अधिनियम का अनुपालन करावाया जाना आपके स्तर से आपेक्षित है। उक्त के अनुपालन हेतु कृपया आपके स्तर अथवा आपके अधीन किसी स्तर पर अधिनियम–2003 के कियान्वयन हेतु निर्गत आदेशों एवं कृत कार्यवाहियों से महानिदेशालय को सूचित करवाने का कष्ट करें (फैक्स नं0– 0522–2623980/ई–मेल nodal.ntcp.up@gmail.com)।

सधन्यवाद।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

(जी0के0कुरील)
निदेशक(स्वास्थ्य), उ0प्र0।

(कमशः.........3)

पत्रांक :–तम्बाकू प्रकोष्ठ/2016–17/ तद्दिनांक

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई–मेल द्वारा सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>–

1. श्री अमलपुष्प, निदेशक, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश शासन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
6. डा0 सुनील पाण्डेय, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ0प्र0।
7. समस्त जनपद नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को इस निर्देश के साथ कि वह जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से उक्त अधिनियम का अनुपालन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(आलोक कुमार)
राज्य नोडल अधिकारी/संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य),
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।